

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स शिवम कोक प्रा० लि०, प्रस्तावक, श्री राकेश कुमार, पिता—श्री लल्लनजी ओझा, चंचानी कॉलोनी, धनबाद, झारखण्ड के द्वारा किऊल नदी ब्लॉक-13 बालू घाट, मौजा—सतगामा, प्रखण्ड—जमुई, जिला—जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक—सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०— एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०— एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 16.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखण्ड सभागार जमुई, जिला—जमुई के प्रांगण में लोक सुनवाई दी गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, दिनांक 14.09.2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाधान निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/2331/2023, दिनांक 24.03.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जम्ही की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा— “द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना” एवं “दैनिक भारकर”, भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 14.05.2023 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का खागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय रखीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर रामाहर्ता के द्वारा उपरिथित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना शर्मा एवं श्री सतीश सिंह ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा किलम नदी ब्लॉक-13 बालू घाट, मौजा-सतगामा, प्रखंड-जमुई, जिला-जमुई में प्रस्तावित है। विहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री राकेश कुमार को इस खनन पट्टा के लिए रौद्रांतिक रखीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक- 13 में प्रतिवर्ष 814524 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹ 718.41 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या- 13 को समिलित किया गया है।
 2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर “वैज्ञानिक विधि” तथा अनुमोदित “खनन योजना” के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए हैं।
 3. खनन में डिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा।

बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारबाई की जायेगी।

4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो।
5. खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
6. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अरथात् व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
7. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील रथानों पर जैसे— मार्ग, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाइल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
8. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
9. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
10. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
11. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
12. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
13. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपरिथित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-

क्रमांक	प्रतिक्रिया / सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री विश्वनाथ सिंह, ग्राम-सोनपे, जिला-जमुई के द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना का समर्थन करते हुये नियमानुसार खनन कार्य किये जाने का अनुरोध किया गया।	पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार खनन की कारबाई करने का आश्वासन दिया गया।
2.	श्री संजीत कुमार, ग्राम-सतगामा, जिला-जमुई के द्वारा पर्याप्त वृक्षारोपण एवं धूल-कण के दमन हेतु पर्याप्त व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया।	पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा सूचित किया गया कि प्रति हेक्टेयर 10 पेड़ लगाये जाने का प्रस्ताव है। कुल लगाये जाने वाले वृक्षों की संख्या 669 प्रस्तावित है। धूल दमन के लिए जल-छिड़काव तथा तिरपाल से ढक कर बालू का परिवहन सुनिश्चित किया जायेगा।
3.	श्री विमल कुमार, ग्राम-सतगामा, जिला-जमुई के द्वारा नियमानुसार खनन करने तथा ओवरलोडिंग से सड़क को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का अनुरोध किया गया।	पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि सड़कों के रख-रखाव के लिए ₹0 1.44 लाख (₹0 एक लाख चौवालिस हजार) खर्च किये जाने का प्रावधान किया गया।

पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा सूचित किया गया कि सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत योजना लागत का 2% राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही खनन कार्य में रथानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकरान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से रथानीय एवं राज्य रत्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके रत्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।

लोक-सुनवाई के अंत में उपरिथित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई संधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


Hawali
19-6-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बिरामप्रगतिपर्षद,
भागलपुर।

19/6/23
अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

M/s Shivam Coke Pvt. Ltd., श्री राकेश कुमार, पिता-श्री लल्लनजी ओझा, चंचानी कॉलोनी, धनबाद, झारखण्ड द्वारा किअल नदी ब्लॉक-13 बालू घाट, मौजा-सतगामा, प्रखण्ड-जमुई, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 16.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे लोक सुनवाई का स्थल: प्रखण्ड सभागार जमुई, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Aular Ram Adar (P.G.R) cem. D.P.R.D Jamui		16/6/23
2.	Shambhu Nath Majhi	Regional Officer B.S.P.C Board Bhagalpur (Jh)	Shambhu 16-6-2023
3.	Anish Kumar	Asstt. Scientific Officer BSPCB, RC Bhagalpur	Anish 16/06/2023
4.	Jitendra Singh	Environmental Officer	16/6/2023
5.	Sprisha	Miner Inspector	16/06/2023
6.	MUNNA SHARMA	Rian Enviro Pvt. Ltd. Patna	Munnu
7.	Satish Kumar	Rian Enviro Pvt. Ltd	Satish
8.	Md Shamim	BSPCB, Bhagalpur	Shamim
9.	Anubam Singh	Jamui	Anubam
10.	Palbir Singh	Jamui	Palbir

11.	Banvir Singh	Jamui, Manjipalra	
12.	Pavinder Kumar	Jamui	
13.	Rahul Kumar	Jamui	
14.	Bittu Kumar	Jamui	Bittu Kumar
15.	@290114201	STG	@290114201
16.	Tsunil Singh (same)		Sunil Singh (same)
17.	Ravi Singh	Jamui	Ravi Singh
18.	Surjeet Singh	Jamui	Surjeet Singh
19.	Digit Rie	STG	Digit Rie
20.	Digit Rie	STG	Digit Rie
21.	Vikram Singh	STG	Vikram
22.	H212 Singh	STG	
23.	Simran Singh	STG	Simran Singh
24.	221187	STG	
25.	Shanti Singh	STG	Shanti Singh

26.	Rahul Yadav	२५०११८१	Rahul Yadav
27.	Vimal Kumar	२५०११८१	Vimal Kumar
28.	মোস্তাফা ইকবেল	২৫০১১৮১	২৫০১১৮১
29.	মুনির আলী	২৫০১১৮১	২৫০১১৮১
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			